

**बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग**

प्रेषक,

उपेन्द्र राम,

सरकार के अवर सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार(ले० एवं हक०),

बिहार, पटना।

प्रभारी पदाधिकारी,

वित्त(वै०दा०नि०को०)विभाग,बिहार, पटना-800015

पटना, दिनांक-

विषय:- गयाजी जिला में कार्यरत नवनियुक्त यूनानी चिकित्सा पदाधिकारी के द्वारा सिविल सर्जन कार्यालय में पदस्थापन की प्रतीक्षा में बितायी गयी अवधि का विनियमन के संबंध में।

प्रसंग:- वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग का पत्रांक PCFC/MED/RACS/2024/ 0640/2088(25) dated 27-12-2024

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संबंध में निदेशानुसार कहना है कि विज्ञापन संख्या 08/2020 के आलोक में बिहार तकनीकी सेवा आयोग से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में स्वास्थ्य विभागीय अधिसूचना संख्या-305(आ०चि०), दिनांक-14.03.2024 द्वारा नवनियुक्त यूनानी चिकित्सा पदाधिकारी को पूर्णतः औपबंधिक रूप से नियुक्त करते हुए 15 दिनों का चिकित्सीय प्रशिक्षण/जानकारी लेने हेतु विभिन्न जिलों में पदस्थापित किया गया।

आदर्श आचार संहिता के प्रभावी रहने तथा भारत निर्वाचन आयोग से सहमति नहीं मिलने के कारण आदर्श आचार संहिता के समापन के उपरान्त स्वास्थ्य विभागीय अधिसूचना सं०-743(आ०चि०), दिनांक-19.07.2024 द्वारा नवनियुक्त यूनानी चिकित्सा पदाधिकारी को विभिन्न चिकित्सीय संस्थानों यथा अनुमंडलीय अस्पताल/सदर अस्पताल/अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों/जिला संयुक्त औषधालयों/राजकीय औषधालयों/आयुष कॉलेज अस्पतालों में पदस्थापित किया गया, जिसके आलोक में सभी नवनियुक्त यूनानी चिकित्सा पदाधिकारी योगदान देकर कार्यरत हैं। इस प्रकार सभी नवनियुक्त यूनानी चिकित्सा पदाधिकारी, सिविल सर्जन कार्यालय में अनिवार्य पदस्थापन की प्रतीक्षा में रहे, जिसमें उनका कोई दोष नहीं है।

विभागीय पत्रांक 1397(आ०चि०) दिनांक 20.12.2024 द्वारा नवनियुक्त चिकित्सको/फिजिशियनो के पदस्थापन की अनिवार्य प्रतीक्षा में बितायी गयी अवधि को कतिपय शर्तों के साथ विनियमन किया जा चुका है। वित्त(वै०दा०नि०को०)विभाग के प्रासंगिक पत्र के आलोक में जिन नवनियुक्त यूनानी चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा (दिनांक-20.07.2024 तक प्रभार ग्रहण किया गया है)

23/08/2025

विनियमन की शर्तें पूरी कर ली गयी हैं उनका समेकित विनियमन सूचना अवधि सहित निम्नवत है:—

क्र० सं०	पदाधिकारी का नाम एवं पदनाम	वर्तमान पदस्थापन स्थल	अवधि जिनका विनियमन किया जाना है।	अवकाश उपभोग की सूचना	यदि वेतन पुर्जा निर्गत हुआ हो गया है, तो वेतन पुर्जा संख्या/निर्गत नहीं हुआ है तो PRAN/GPF संख्या	सेवा विनियमन के प्रकार
1	2	3	4	5	6	8
1	डा० मो० अरशद इमाम, यूनानी चिकित्सा पदाधिकारी	अति० प्रा० स्वा० केन्द्र, पाले, वजीरगंज, गया	दिनांक—16 03 2024 से 19 07 2024 तक 126 दिन	—	19112425056662	पदस्थापन की प्रतीक्षा अवधि

उक्त अवधि में उनकी कोटि का वेतन देय होगा।

प्रस्ताव में आंतरिक वित्तीय सलाहकार एवं सक्षम प्राधिकार की सहमति प्राप्त है।

विश्वासभाजन

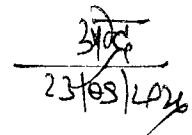
ह०/—

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक—16/एम.1—84/2025 — 1447 (आ. प्रि.) पटना, दिनांक—24.9.2026

प्रतिलिपि:—सिविल सर्जन, गया जी/कोषागार पदाधिकारी, गया जी/संबंधित प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, गया जी/उपाधीक्षक, सदर अस्पताल, गया जी/संबंधित यूनानी चिकित्सा पदाधिकारी को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:—आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।



सरकार के अवर सचिव